रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT OF INDIA

सं० 106] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1976 फाल्गुन 15, 1897
No. 106] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1976/PHALGUNA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March 1976

S.O. 169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby directs that for the period commencing on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending with the 30th June, 1978 or till such time as the said Act is made applicable to the State of Sikkim, whichever is earlier, the tax payable under sub-section (2) of the section 8 of the said Act in respect of the sales of goods specified in the Schedule below, which are made, in the course of inter-state trade or Commerce, by any dealer in the Union Territory of Delhi to any dealer in the said State shall be calculated at the rate of 4 per cent, subject to the condition that the dealer in the said Union territory produces before the assessing authority a declaration duly filled in and signed by the purchasing dealer in the following Form, namely:—

DECLARATION

Serial No.

To

.....(Name of the seller)

.....(His address)

Certified that the goods:

@ ordered for in our purchase order No. dated

* purchased from you as per bill/cash memo dated below

* supplied under your challan No. dated

are required by us for the purpose of:

* resale

* use in manufacture/processing of goods for sale

* use in making/generation of distribution of power

* packing of goods for sale/resale

.....(name of the purchasing dealer in full)

.....(His full address).

(Signature and status of the person signing the declaration).

* particulars of bill/cash memo.

Date No. Amount

Date of issue of the certificate

(* Strike off whichever is not applicable)

THE SCHEDULE

Any goods to the sale of which sub-section (1) or sub-section (2-A) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), does not apply and which:

(a) if declared goods, are intended for resale by the purchasing dealer.

(b) If the goods are other than declared goods, are intended for resale by the purchasing dealer or for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power; or

(c) are intended for packing the goods for sale or resale by the purchasing dealer.

[No. U-15034/12/75-Delhi]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1976

का० आ० 169 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से आरम्भ होने वाली और 30 जून, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि तक या ऐसे समय तक जबकि उक्त अधिनियम सिक्किम राज्य को लागू किया जाए, जो भी पूर्वतर हो, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय की बाबत, जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यवहारी द्वारा, उक्त राज्य में किसी व्यवहारी को, अन्तर्राज्यिक

व्यापार या वाणिज्य के दौरान किया जाए, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उक्त संघ राज्य क्षेत्र का व्यवहारी निम्न प्ररूप में क्रय करने वाले व्यवहारी द्वारा सम्यक्‌तः भरी गई और हस्ताक्षरित घोषणा, निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा, चार प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

घोषणा

क्रम सं०

सेवा में,

..... (विक्रेता का नाम)

..... (उसका पता)

प्रमाणित किया जाता है कि यह माल,

@जिसके लिए हमारे क्रम आर्डर सं० तारीख में आर्डर किया गया था

*जो आपके द्वारा नीचे दी गई तारीख के बिल/कैशमीमो द्वारा क्रय किया गया था

*जिसका आपके चालान सं० तारीख के अन्तर्गत प्रदाय किया गया था

निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ हमारे द्वारा अपेक्षित है :

*पुनर्विक्रय

*विक्रय के लिए माल के प्रसंस्करण / विनिर्माण में उपयोग के लिए

*खनन / विद्युत वितरण या उत्पादन में उपयोग के लिए

*विक्रय / पुनर्विक्रय के लिए माल की पैकिंग के लिए

.....(क्रय करने वाले व्यवहारी का पूरा नाम)

..... (उसका पूरा पता)

(घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसकी प्रास्थिति)

*बिल / कैशमीमों की विशिष्टियां

तारीख सं० रकम

प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें)

अनुसूची

ऐसे माल, जिसके विक्रय को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2-क) लागू नहीं होती और जो,

(क) यदि घोषित माल है, क्रय करने वाले व्यवहारी द्वारा पुनर्विक्रय के लिए आशयित है ;

(ख) यदि घोषित माल से भिन्न है, क्रय करने वाले क्रेता व्यवहारी द्वारा पुनर्विक्रय के लिए या विक्रय के लिए माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उसके द्वारा उपयोग के लिए या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की विद्युत् के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिए आशयित है; या

(ग) क्रय करने वाले व्यवहारी द्वारा विक्रय या पुनर्विक्रय के लिए माल की पैकिंग के लिए आशयित है ।]

[सं० यू०-15034/12/75-दिल्ली]

के० सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976